न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू.	तारीख निर्णय
50/2024	23.10.2024	23.06.2025

1. मुनीराज पुत्र राजाराम मीना, निवासी बाढरामसर तहसील तलावडा
2. मलकेश पुत्र राजाराम मीना निवासी बाढरामसर तहसील तलावडा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. खेमराज पुत्र रामलाल मीना, निवासी बाढरामसर तहसील तलावडा
2. बच्चू पुत्र रामलाल मीना, निवासी बाढरामसर तहसील तलावडा
3. इन्द्राज पुत्र बजरंगा मीना, निवासी बाढरामसर तहसील तलावडा
4. धनराज पुत्र बजरंगा मीना, निवासी बाढरामसर तहसील तलावडा
5. नाहरसिंह पुत्र बजरंगा मीना, निवासी बाढरामसर तहसील तलावडा
6. लखमीती पत्नि स्व. बजरंगा मीना, निवासी बाढरामसर तहसील तलावडा
7. शिवम पुत्र धारासिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता हल्की पत्नि धारासिंह मीना, निवासी बाढरामसर तहसील तलावडा
8. सत्यम पुत्र धारासिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता हल्की पत्नि धारासिंह मीना, निवासी बाढरामसर तहसील तलावडा
9. हल्की पत्नि स्व. धारासिंह मीना, निवासी बाढरामसर तहसील तलावडा
10. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार तहसील तलावडा —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :—श्री सतीश चन्द शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0न0 929 रकबा 0.17 है0 ग्राम हीरापुर प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीगण की इस भूमि की उत्तरी दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 862 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 864 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 865 रकबा 0.28 है स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य डोलमेड बनी हुई थी। जिसे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आये दिन नष्ट करते रहते है एवं सीमाचिन्हों को मिटा देते है। इस कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन सीमाचिन्हों को लेकर विवाद होते रहते है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 929 रकबा 0.17 है0 ग्राम हीरापुर की सीमाज्ञान कराने हेतु तहसीलदार जी तलावडा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 20.06.2024 को तत्कालीन पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर प्रार्थीगण के खेत की नाप—तोल कर सीमाज्ञान करवाया जिसके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 929 रकबा 0.17 है0 के हिस्से की भूमि अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 862 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 864 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 865 रकबा 0.28 है0 ग्राम हीरापुर में निकलना पाया गया। मौके पर पटवारी हल्का द्वारा सीमा चिन्ह भी बनवा दिये गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.01 12:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

जिन्हें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 15.09.2024 को फावडो से हटाकर नष्ट कर दिया। प्रार्थीगण ने मना किया तो वे नही माने एवं प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 929 रकबा 0.17 है0 ग्राम हीरापुर के उत्तरी दिशा की तरफ स्थित अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 की भूमि खसरा नम्बर 862 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 864 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 865 रकबा 0.28 है0 ग्राम हीरापुर के मध्य स्थित कृषि भूमि के मध्य पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर कोई उपस्थित नही हुआ है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 29, 65 ग्राम हीरापुर, फोटोकॉपी नकल फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.06.2024, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम हीरापुर प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 65 ग्राम हीरापुर के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0न0 929 प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है एवं इनसे लगती हुई अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 862 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 864 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 865 रकबा 0.28 है0 ग्राम हीरापुर में स्थित है जो खाता संख्या 29 ग्राम हीरापुर से स्पष्ट है। नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.06.2024 के अनुसार प्रार्थीगण को पटवारी हल्का हीरापुर द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया है। जिससे अप्रार्थीगण संतुष्ट नही हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि ख0न0 929 रकबा 0.17 है0 ग्राम हीरापुर तहसील तलावडा पर पत्थरगढी करावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर तलावडा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 12:55:08 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)